उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-226/2019/4448/26-3-2019
लखनऊ: दिनांक: 18 अक्टूबर 2019

**शुद्धि पत्र**

उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016 के प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम को जोडते हुये सुसंगत नियमावली का (अष्ठम संशोधन)-2019 शासनादेश संख्या-221/2019/4119/26-3-2019-रिट(23)/2011, दिनांक-11-10-2019 द्वारा जारी किया गया था, किन्तु उक्त शासनादेश की दूसरी पंक्ति में उल्लिखित शासनादेश संख्या-85/2016/आर-1214/26-3-2016-रिट(23)/2011, दिनांक-24-07-2017 अंकित हो गयी है। अत: उक्त शासनादेश की तिथि 24-07-2017 के स्थान पर दिनांक-14-06-2016 पढा जाय।

3- शासनादेश संख्या-221/2019/4119/26-3-2019-रिट(23)/2011, दिनांक-11-10-2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ0सं0-226/2019/4448 (1)/26-3-2019 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।